

नाम ⇒ Kuldeep Duvvedi Mech.  
Ambuj Tiwari Mech.

Polytechnic Collage Nowgong.

Date \_\_\_\_\_  
Page \_\_\_\_\_

# HELMET

9/10

Aditya

## What is helmet . Introduction.

A helmet is a form of protective gear worn to protect the head. More specifically, a helmet complements the skull in protecting the human brain from an injury.

## What is the use of helmet.

Helmet are designed to help prevent injuries to your head. A serious fall or crash can cause permanent brain damage but helmet can prevent it. If it is a BSI certified helmet.

## How helmet safety has been tested.

A helmet is positioned on a metal head form and then dropped in a guided fall onto various steel test anvils (Flat, Hemisphere, Roll bar, Edge or a Horseshoe type). Which stimulate different impact surfaces.

## What is Helmet Standard.

This is a government - approved and Certification and testing organisation of India. It is now known as the Bureau of Indian Standard (BIS). Helmet that meet ISI rating are considered legal and safe in India.

## Some new rules and regulations made by government for Helmet.

As per the Statistical data for the financial year 2021, the sale of two-wheelers hit 15.12 million units. Thus creating a large market for helmet manufacturers to get profitable sales. The ministry of Road Transport & Highway has passed the notification that all have to buy the BIS certified helmet because the other helmets quality is and safety rating is that is why the government make this rule.

That led to a big hue & cry for the manufactures because imported full face helmet would not be permitted to be sold in India. It means the other country helmets does not sold in Indian market.

## What is The BIS Certified Helmet.

Two-wheeler Helmets are under the mandatory Indian Standards. The BIS (Bureau of Indian Standards) under the Gazette of India has implemented an order for the Raw material and the Construction of the BIS certified Helmet for the Safety of the bikers or the Riders.

Now we know about BIS

## What is BIS?

The Bureau of Indian Standards (BIS) is the National Body of India under Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Government of India. It is established by the Bureau of Indian Standards Act, 2016 which came into effect on 12 October 2017. The Minister in charge of the Ministry or Department having administrative Control of the BIS is the ex-officio President of the BIS. BIS has 500 plus Scientific Officers working as Certification Officers, member Secretaries of

of technical Committees and Lab.

Formed: 23 December 1986

Headquarters: Manak Bhawan New Delhi  
110002

Motto ⇒ मानक: व्यापकशक्ति

Core activities:

- ★ Standard Setting
- ★ Certification
- ★ The laboratory
- ★ International activities
- ★ training Services

ISI Mark:



BIS:



— x — x —  
Thank you.



## हेलमेट



परिवर्तित महाविद्यालय नौगांव

BSI हेलमेट क्या है -

ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) ने हाल ही में भारत के लिए नए हेलमेट स्टैंडर्ड नियमों वाले हेलमेट को लागू किया है। इन नियमों से भारत में बिकने वाले हेलमेट की क्वालिटी में सुधार लाया जा सकेगा। साथ ही सड़क पर बिकने वाले लोकल क्वालिटी के हेलमेट पर रोक लगाई जायगी। भारत में इस नियम को 15 जनवरी 2019 को लागू किया गया। जिसके बाद भारत में हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को BSI के स्टैंडर्ड पर हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। नए नियम के अनुसार हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम होगा जो अभी तक 1.5 किलोग्राम था। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने भी यह भी सेलान किया कि अब से नॉन BSI स्टैंडर्ड वाले हेलमेट बेचना अपराध माना जाएगा। इस नियम का पालन न करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना पारित की है कि सभी क्षेत्रों में हेलमेट को BSI (भारतीय मानक ब्यूरो) प्रमाणित होना चाहिए। नई अधिसूचना के अनुसार, BSI ISI सर्टिफिकेट वाले हेलमेट को भारतीय बाजार में बेचने की इजाजत होगी। यह कदम कम गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री को कम करने और अंततः समाप्त करने और उनकी सुरक्षा में सुधार करने के लिए है।

## बी. आई. एस. हेलमेट के लाभ -

- \* इससे ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार होता है।
- \* लेबल यह सूचीबद्ध करता है कि प्रत्येक ग्राहक को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त हों।
- \* यदि उपभोक्ता हेलमेट की गुणवत्ता से असंतुष्ट है तो हेलमेट बेचने वाली कंपनी नए उत्पाद पर स्विच कर देगी।
- \* यदि किसी उपभोक्ता को संदेह है कि आई. एस. आई. वाला उत्पाद कम गुणवत्ता का है, तो ग्राहक उत्पाद निर्माता के रित्वाफ काबूनी कार्यवाई कर सकते हैं।
- \* ISEI हेलमेट को पहनने से हम सड़क में होने वाली असंभावित दुर्घटना से बच सकते हैं।

हेलमेट पर लाब बी. आई. एस. प्रमाणन योजनाओं का प्रकार ⇒

आई. एस. आई. और एफ. एम. सी. एस. दो बी. आई. एस. प्रमाणन योजनाएँ हैं जो हेलमेट पर लाब होती हैं। आई. एस. आई. (भारतीय मानक संस्थान) भारतीय निर्माताओं पर लाब होता है। तथा एफ. एम. सी. एस. (विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना) विदेशी निर्माताओं पर लाब होती है।

• आई. एस. आई. मार्क प्रमाणन ⇒

आई. एस. आई. मार्क प्रमाणन करता है कि कौन-सा उत्पाद सुरक्षा मानकों को पूरा करता है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि कोई उत्पाद भारतीय मानकों को स्थापित करके स्वीकार करता है। इसलिए निर्माताओं को आई. एस. आई. चिन्ह प्रदान करने में उत्पाद विश्लेषण, उत्पाद नमूना परीक्षण, कारखाना परीक्षण आदि जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

• एफ. एम. सी. एस. प्रमाणन ⇒

एफ. एम. सी. एस. प्रमाणन करता है कि विदेशों में निर्मित डेल्टा भारतीय मानकों को पूरा करता है। आई. एस. आई. मार्क की तरह भारतीय बाजार में डेल्टा वितरित करने या बेचने के लिए एफ. एम. सी. एस. एक अनिवार्य आवश्यकता है। और इसमें उत्पाद विश्लेषण, उत्पाद परीक्षण और प्राप्त करने के लिए और भी बहुत कुछ शामिल है।

बी. आई. एस. प्रमाणन की प्रक्रिया ⇒

1. आवेदन पत्र भरण ⇒

सबसे पहले आवेदन भरे, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करते हैं, और प्रमाणन शुल्क भरते हैं। ताकि कोई कम्पनी कर्जी न हो। जो कम गुणवत्ता वाला बना सके।

2) केब्ली का निरीक्षण किया जाता है ⇒  
ती. आई. एस. अधिकारी और ती. आई. एस. अधिकृत टीम विनिर्माता परिसर का दौरा करती है। और परीक्षण के लिए रॉ-मटेरियल व हेलमेट का एक सैम्पल लेती है।

3) हेलमेट परीक्षण ⇒ ती. आई. एस. अधिकारी व निरीक्षण दल हेलमेट का परीक्षण करती है कि - हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम है या नहीं, यह वजन पड़ने या टक्कर लगने से क्षतिग्रस्त तो नहीं होता व हेलमेट की उच्च गुणवत्ता का यह या निम्न गुणवत्ता का।

4) सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के बाद ती. आई. एस. हेलमेट के लिए आई. एस. आई. प्रमाणन जारी करती है।

निष्कर्ष ⇒ गैर - आई. एस. आई. हेलमेट पर प्रतिबंध लगाकर भारत सरकार के नये नियमों से संबंधित हेलमेट निर्माताओं की माँग बढेगी। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय हेलमेट विनिर्माण उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह आने वाले वर्षों में एक रतार्ड-ग्रप को उजाकहित करना जारी करेगा। हमें B.I.S. के कारण हेलमेट की उच्च गुणवत्ता मिलेगी। जिससे कम सड़क दुर्घटना से होने वाले नुकसान से बच सकेंगे। तथा आने वाले छांभीर पोंटों से बच जायेंगे।



## भारतीय मानक ब्यूरो (B.I.S.)

BI.S. का पूरा नाम ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्ड्स है। BI.S. एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के मिनिस्ट्री ऑफ कन्ज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। BI.S. का गठन 1986 ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ऐक्ट के अंतर्गत हुआ था। यह ऐक्ट 23 दिसम्बर 1986 को लागू हो गया था। यह ऐक्ट 2016 में इस ऐक्ट को अमेन्ड करके एक नया ब्यूरो ऑफ इण्डिया स्टैंडर्ड्स ऐक्ट 2016 नोटीफाई किया गया और यह 22 मार्च 2016 को नोटीफाई किया गया। एवं 12 अक्टूबर 2017 को इण्डियन स्टैंडर्ड्स 2016 इस ऐक्ट में आ गया था। इस समय BI.S. में लगभग 500 से अधिक वैज्ञानिक अधिकारी, प्रमाण अधिकारी, तकनीकी समितियों और प्रयोगशाला B.I.S. के सदस्य सचिवों के रूप में कार्यरत हैं। BI.S. का मुख्यालय मानक भवन, पुरानी दिल्ली में है।

## भारतीय मानक ब्यूरो का कार्य

BI.S. एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है जो कि किसी भी प्रोडक्ट और प्रोसेस का स्टैंडराइजेशन करता है। किसी भी प्रोडक्ट की मार्किंग करता है और उसके क्वालिटी सर्टिफिकेट प्रदान करता है। BI.S. स्टैंडराइजेशन, सर्टिफिकेशन और टेस्टिंग के द्वारा हमारे देश की इकोनॉमी को एक बनीफिट प्रोवाइड कर रहा है। BI.S. के द्वारा ही सेफ

और रिवाइवल प्रोडक्ट हम तक पहुँचते हैं।

BIS के फंक्शन ⇒

- 1) BIS किसी भी मैन्युफैक्चरर को BIS के स्टैंडर्ड्स के अकार्डिंग जो भी कंस्ट्रिप्शन्स हैं वो पूरा करने के लिए अपनी मदद देगी।
- 2) स्टैंडर्ड्स मार्क का डिजाइन करना और जितने भी हमारे स्टैंडर्ड्स सर्टीफिकेशन मार्क हैं उनके रेडी करेगी।
- 3) अगर कोई व्यक्ति BIS के जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके फॉलो करना चाहता है, और BIS का लाइसेंस लेना चाहता है तो इसके लिए उसकी अप्लीकेशन को ग्रांट करना, अगर उसका लाइसेंस पुराना हो चुका है तो उसको रिन्यू करेगी।
- 4) यदि कोई भी इन्डसट्री या मैन्युफैक्चरर BIS के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती है तो उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर देना या कैन्सल कर देना BIS का फंक्शन है।